

भाग - III

राज्य: आन्ध्र प्रदेश

1 पृष्ठभूमि

आन्ध्र प्रदेश 1030 कि.मी. लम्बी तट रेखा के साथ भारत के पूर्वी तट पर 274,000 वर्ग कि.मी. को शामिल करता है तथा यह देश का पांचवा सबसे बड़ा राज्य है जो इसके कुल क्षेत्र का 8.4 प्रतिशत है। राज्य चक्रवातों, बाढ़ तथा भूकम्प जैसे मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ औद्योगिक तथा रसायन संकटों के प्रति संवेदनशील है।



मानचित्र 10.1: आन्ध्र प्रदेश

1.1 राज्य की संवेदनशील परिस्थितियां: राज्य में आपदाओं हेतु मुख्य संवेदनशीलता को नीचे वर्गीकृत किया गया था:

चक्रवात तथा बाढ़: इसके कुल क्षेत्र का लगभग 44 प्रतिशत भाग उष्णकटिबंधी चक्रवातों तथा संबंधित संकटों के प्रति संवेदनशील है। तटीय क्षेत्र आवृत्ति चक्रवातों तथा बाढ़ों से पीड़ित है।

भूकंप: राज्य का 34 प्रतिशत भाग जोन III¹ में आता है। घने बसे हुए अपार्टमेन्ट तथा वाणिज्य परिसरों

¹ स्रोत: भारत की भूकंप प्रतिरोधी संहिता [आई एस 1893 (भाग-1) 2002] में दिए गए भारत के भूकंपी जोन मानचित्र के अनुसार वर्गीकृत

सहित राज्य के मुख्य शहरी केन्द्र हैदराबाद (जोन II), विशाखापटनम (जोन II), तथा विजयवाड़ा (जोन III) हैं। अन्य मुख्य शहर जो जोन III में आते हैं तिरुपति, नैलोर तथा कूड्डपा हैं।

सूखा: राज्य में 8 जिले (कुल 23 में से) अर्थात् रायलसीमा क्षेत्र में अनंतपुर, चित्तूर, वाई.एस.आर. (कडापा) तथा कुर्नूल; तेलंगाना क्षेत्र में रंगारेड्डी, मेहबूबनगर, नालगोंडा; तथा तटीय क्षेत्रों में प्रकाशम विशेष रूप से सूखे के प्रति संवेदनशील क्षेत्र हैं।

राज्य में पिछले दशक में मुख्य आपदाओं के ब्योरे **अनुबंध 10.1** में दिए गए हैं।

2 राज्य में सांस्थानिक प्रबंधन

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (रा.आ.प्र.प्रा.) का गठन राज्य में नवम्बर 2007 में किया गया था। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (जि.आ.प्र.प्रा.) जिनकी अध्यक्षता जिलाधीश द्वारा की जाती है का गठन भी नवम्बर 2007 में किया गया था।

आन्ध्र प्रदेश में, आपदा प्रबंधन आयुक्त तथा पदेन प्रधान सचिव रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा तैयारी कार्य हेतु मार्गदर्शन तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय प्रदान करते हैं। विभाग राज्य में बचाव, राहत तथा पुनर्वास कार्यों के लिए भी उत्तरदायी है। यह आपदा प्रबंधन हेतु बचाव तथा राहत उपायों में अन्य विभागों के साथ योजना तथा समन्वय में नोडल अभिकरण है।

जिला स्तरीय तैयारियों का पता लगाने हेतु राज्य में पूर्व गोदावरी जिले का चयन किया गया था।

3 आपदा तैयारियों पर अभ्युक्तियां

- क. यद्यपि राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय प्राधिकरणों की स्थापना 2007 में की गई थी, हमने उनके कार्य करने में अंतराल पाया। लेखापरीक्षा में शामिल पांच वर्षों के दौरान चयनित जिलों में रा.आ.प्र.प्रा., रा.का.स. तथा जि.आ.प्र.प्रा. की केवल तीन बैठक हुई थीं।
- ख. राज्य स्तरीय योजना ड्राफ्ट स्तर पर थी।
- ग. हमने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के प्रबंधन में अनियमितताएं पाईं। इसमें निधियों का विपथन (₹ 3.29 करोड़), निधि का गैर-प्रेषण (₹ 46.49 लाख) उ.प्र. का गैर-समाधान तथा गैर-प्रस्तुतकरण (₹ 4024.38 करोड़) शामिल है। (पैरा सं. 5.1.3, 5.1.4 तथा 5.1.5)
- घ. नमूना जांच किए जिले में सड़क एवं भवन विभाग द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कों का कोई मानचित्रण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, नमूना जांच किए जिले में संवेदनशील सड़कों तथा वैकल्पिक मार्गों का चयन करने हेतु कोई उपाय नहीं किए गए थे।
- ङ. 1977 में तैयार काकीनाडा शहर की मुख्य योजना को प्रत्येक 20 वर्षों में संशोधित करना अपेक्षित था। तथापि, अब तक कोई संशोधन नहीं किया गया था।
- च. हैदराबाद में, 144 इमारतें जर्जर के रूप में चयनित की गई थीं जिसमें से केवल 5 को गिराया गया था। (पैरा सं. 9.1.7.2)

- छ. हमने पाया कि निर्मित 168 चक्रवात शरणगृहों में से 99 शरणगृह उपयोग करने योग्य स्थिति में नहीं थे। (पैरा सं. 9.3.6.5)
- ज. पिछले पांच वर्षों में बकाया, रसायन सुरक्षा हेतु मुख्य दुर्घटना आपदा इकाईयों के 343 सुरक्षा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से केवल 211 प्रतिवेदन ही प्राप्त हुए थे। 23 जिलों में से केवल 11 के लिए आफ-साईट आपातकालीन योजनाएं तैयार की गई थीं। इन आफ-साईट योजनाओं का 2007 से अद्यतन भी नहीं किया गया था। (पैरा सं. 9.6.7.1)
- झ. 2007-11 के दौरान 'वन प्रबंधन के तीव्रीकरण' के अंतर्गत निधि उपयोग 47 से 89 प्रतिशत के बीच था। (पैरा सं. 9.5.6)
- ञ. सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 2011-12 के दौरान निधियाँ प्रदान करने में पर्याप्त विलम्ब पाए गए थे। (पैरा सं. 9.4.5.2)
- ट. क्षमता निर्माण के प्रति भारत सरकार से प्राप्त कुल ₹ 6 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं किया गया था। हमने पाया कि आफ-साईट आपातकालीन योजनाओं हेतु रसायन सुरक्षा मॉक-ड्रिल केवल दो जिलों में की गई थी। (पैरा सं. 8.3.1)

एक सकारात्मक नोट पर:

- संबंधित विभागों की व्यक्तिगत कार्य योजनाएं उपयुक्त थीं। कार्य योजनाओं की समीक्षा तथा अद्यतन नियमित रूप से किया जा रहा था।
- जिला स्तर पर संबंधित विभागों ने राहत कार्यों हेतु अपने दल गठित किए गए थे।
- राज्य में आवर्तन आपदाओं हेतु संवेदनशील स्वरूप पर्याप्त था।
- विभिन्न विभागों के भौतिक तथा वित्तीय निष्पादन पर आवधिक विवरण जिला प्राधिकरणों द्वारा आपदा प्रबंधन आयुक्त को प्रस्तुत किए जा रहे थे।

राज्य: गुजरात

1 पृष्ठभूमि

गुजरात राज्य सभी मुख्य प्राकृतिक संकटों (सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूनामी आदि) के प्रति संवेदनशील क्षेत्र था। रासायनिक, विकिरणधर्मी तथा नाभिकीय मूल की आपदाओं/आपात स्थितियों के प्रति भी संवेदनशीलता विद्यमान थी।



मानचित्र 10.2: गुजरात

1.1 राज्य की संवेदनशील परिस्थितियां: राज्य में मुख्य आपदा संवेदनशीलता को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया था:

भूकम्प: भारत के भूकंपी जोनिंग मानचित्र में, गुजरात में भूकम्प संकट स्तर मध्य से उच्च अर्थात् जोन III से V तक फैला था। अहमदाबाद, भरुच, राजकोट तथा भावनगर के शहर गम्भीर प्रबलता जोन आया, जबकि भुज तथा जामनगर अति गम्भीर प्रबलता जोन में आया।

सूनामी: गुजरात अपनी लम्बी तटीयरेखा तथा अरब सागर के करीबी तथा तट से दूर समुद्री भूकम्पों की उपस्थिति की संभाव्यता के कारण सूनामी जोखिम में प्रवण था। राज्य में सूनामी प्रवण क्षेत्र में कच्छ, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, भावनगर, आनंद, अहमदाबाद, भरुच, सूरत, नवसारी तथा वलसाड़ जिलों के तटीय गाँव शामिल थे।

सूखा: राज्य का पर्याप्त भाग शुष्क तथा अर्ध-शुष्क था। उत्तरी गुजरात तथा स्वराष्ट्र के बड़े भाग में

वैकल्पिक सिंचाई का कोई स्रोत नहीं था। सूखा सुभेद्यता भूमि जल के अधिक उपयोग के कारण बढ़ रही थी। गिरते हुए जल स्तर ने कृषि तथा जल आपूर्तियों पर अतिरिक्त दबाव डाला था।

बाढ़: गुजरात के अधिकांश क्षेत्र बाढ़ तथा नदी अपरदन के प्रवण थे।

रसायन आपदाएं: यहाँ पर रसायन आपदाओं का निरंतर भय था क्योंकि देश की कुल मुख्य दुर्घटना संकट इकाइयों का 35 प्रतिशत अधिकतर वापी, हाजिरा, अंकलेश्वर, दाहेज आदि में स्थित था।

पिछले दशक के दौरान घटी बड़ी आपदाओं के ब्योरे **अनुबंध 10.2** में दिए गए हैं।

2 राज्य में सांस्थानिक प्रबंधन

गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (गु.रा.आ.प्र.प्रा.) को फरवरी 2001 में स्थापित किया गया था। यह गुजरात में आपदा प्रबंधन हेतु शीर्ष निकाय था। प्राधिकरण सभी प्रकार की आपदाओं, प्राकृतिक अथवा मानव-निर्मित हेतु आपदा तैयारियों, शमन तथा निर्धारण कार्य के लिए उत्तरदायी था। तथापि, पश्च आपदा प्रबंधन राज्य राहत आयुक्त के पास था।

गुजरात आपदा प्रबंधन हेतु वैधिक तथा विनियामक ढांचा प्रदान करने के लिए एक अधिनियम बनाने वाला भारत में पहला राज्य था। गु.रा.आ.प्र.प्रा. ने सितम्बर 2002 में एक 'आपदा प्रबंधन नीति' तैयार की। 'गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम' मई 2003 से लागू हुआ था। राज्य अधिनियम के अनुसार, जिलाधीशों को जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन गतिविधियों की योजना करने, समन्वय करने तथा कार्यान्वित करने हेतु प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया था। जिलाधीशों को गु.रा.आ.प्र.प्रा. के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के रूप में भी पदनामित किया था। वे नीति तथा योजनाओं की मॉनीटरिंग तथा कार्यान्वयन सहित आ.प्र. से संबंधित सभी कार्यों को करने हेतु आपातकालीन शक्तियों से निहित थे।

गुजरात में जिला स्तरीय तैयारियों को निर्धारित करने हेतु भरुच, जामनगर तथा कच्छ जिलों का चयन किया गया था।

3 आपदा तैयारियों पर अभ्यक्तियाँ

- क. हमने पाया कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान अगस्त 2007 तथा अगस्त 2010 में रा.अ.प्र.प्रा. की केवल दो बैठक हुई थीं। राज्य अधिनियम राष्ट्रीय अधिनियम से दो वर्ष पहले लागू हुआ था इसलिए वह इसके समरूप नहीं है। राष्ट्रीय अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने हेतु कोई संशोधन नहीं किए गए थे।
- ख. राज्य ने एक प्रारूप आपदा प्रबंधन योजना तैयार की थी जिसे केवल जुलाई 2012 में स्वीकृत किया गया था।
- ग. दुर्घटना के तुरंत प्रभाव के निपटान हेतु आपातकालीन कार्य समूह सृजित नहीं किए गए थे। पाँच क्षेत्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया केन्द्रों (क्षे.आ.प्र.के.) को विभिन्न स्थानों पर अवधारित किया गया

था; फिर भी राजकोट के अलावा सभी क्षे.आ.प्र.के. भवनों का निर्माण अपूर्ण था। हमने यह भी पाया कि भवन की समाप्ति के बिना क्षे.आ.प्र.के. हेतु कुल ₹97.70 करोड़ की राशि के बचाव उपकरणों का 2008 तथा 2009 में प्रापण किया गया था।

- घ. हमने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के प्रबंधन में अनियमितताएं पाईं। इनमें अस्वीकार्य व्यय (₹ 236.95 करोड़), अव्ययित निधियों का निवेश न करने के परिणामस्वरूप ₹ 189.86 करोड़ तक के ब्याज की हानि में हुआ तथा केन्द्रीय अंश के वास्तविक प्रेषण में दो से आठ महीनों का विलम्ब शामिल था। (पैरा सं. 5.1.2, 5.1.3 एवं 5.1.5)
- ड. रा.च.जो.श.प. के अंतर्गत, गु.रा.आ.प्र.प्रा. ने 12 चयनित जिलों में बनाए जाने वाले 175 शरणगृहों की पहचान की। निर्माण कार्य अभी भी प्रारम्भ नहीं हुआ था। (पैरा सं. 9.3.6.2)
- च. तीन चयनित जिलों में, हमने पाया कि नगरपालिका के अग्नि तथा आपातकालीन सेवाएं स्कंध में 112 कार्मिकों की स्वीकृत संख्या के प्रति 57 कार्यरत थे। (पैरा सं. 7.4.4)

एक सकारात्मक नोट पर:

- गु.रा.आ.प्र.प्रा. ने सितम्बर 2002 में गुजरात के लिए 'आपदा प्रबंधन नीति' तैयार की जो लागू थी।
- समयपूर्व चेतावनी प्रणालियां तथा क्रियाविधियां उपयुक्त थीं। आपदाओं के प्रकार, उनकी क्षमता तथा तीव्रताओं की व्यापक रूप से पहचान की गई थी। यह तालुका स्तर तक राज्य के संकट जोखिम तथा संवेदनशील मानचित्रावली (सं.जो.व.मा.) का भाग था।
- 2007-12 के दौरान, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान ने 3808 प्रतिभागियों को 152 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया।
- पिछले तीन वर्षों के दौरान, 278 जिलों, 637 तालुकाओं, 2372 गाँवों तथा 381 नगरपालिकाओं में मॉक-ड्रिल की गई थीं।

राज्य: महाराष्ट्र

1 पृष्ठभूमि

महाराष्ट्र में 35 संकरी खाड़ियों के साथ 720 कि.मी. की तट रेखा है। राज्य तटीय सुरक्षा चेतावनी, चक्रवातों तथा अन्य संबंधित आपदाओं के प्रति रक्षा करनी है।

बाढ़ तथा मूसलाधार वर्षा के कारण जुलाई तथा अगस्त 2005 के दौरान 1100 लोगों की मृत्यु हुई थी। पुनः 2006 में, राज्य में मानसून के दौरान बाढ़ आई जिसमें 400 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।



मानचित्र 10.3: महाराष्ट्र

1.1 राज्य की संवेदनशील परिस्थितियाँ: राज्य में आपदाओं की मुख्य संवेदनशीलता को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया था:

भूकम्प: अधिकांश महाराष्ट्र डेक्कन ट्रैप्स द्वारा आवृत है जो लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित बेसाल्ट प्रवाहों का एक अनुक्रम है। महाराष्ट्र तथा समीपस्थ क्षेत्र मध्यम विस्तार के भूकम्पों के प्रवण थे। महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र ने सबसे अधिक झटकों का अनुभव किया। कोयना के अलावा, किल्लारी, खार्दी (भात्सा) एवं मेढी (सूर्या) के अन्य क्षेत्रों, बीड़, रायगढ़, ठाणे तथा नांदेड़ के जिले आवधिक रूप से आंतरायिक भूमिगत ध्वनिक उत्सर्जन देख रहे थे।

² एक बाढ़ बेसाल्ट अथवा ट्रैप बेसाल्ट, एक बड़े ज्वालामुखीय उद्भेदन अथवा उद्भेदनों की श्रृंखलाओं जो बेसाल्ट लावा के साथ भूमि अथवा समुद्री तल के बड़ी सीमाओं का आवरण करती हैं, का परिणाम है।

चक्रवात: तटीय क्षेत्र चक्रवात जोखिमों के प्रवण थे तथा राज्य में गुजरात से गोवा के बीच 720 कि.मी. से अधिक की तटीय सीमा थी। इस प्रकार मुंबई सहित कोंकण क्षेत्र चक्रवातों के लिए प्रवण था। इस तटीय क्षेत्र में मछली पकड़ने के कार्य में लगी 17,918 नावों सहित 386 समुद्री मछली पकड़ने वाले गाँव/बस्तियाँ थीं। अरब सागर में, 1890-1995 की अवधि के दौरान, 207 अवसादों/चक्रवाती तूफान/गम्भीर चक्रवाती तूफान दर्ज किए गए थे जिसमें से 19 ने महाराष्ट्र-गोवा तट को प्रभावित किया था। एक तटीय शहर होने से मुंबई ने हाल के अतीत में चक्रवातों के कई खतरों का सामना किया था। इसने 1982, 1988 तथा अक्तूबर 1996 में परिधीय चक्रवाती प्रभावों का सामना किया था तथा दो अवसरों (1948 तथा जून 1996) में चक्रवात से हानि हुई थी।

बाढ़: राज्य के सभी जिले बाढ़ प्रवण थे। अहमदनगर, बीड़, सोलापुर, लातूर, ओसमानाबाद, जालना, औरंगाबाद, बुलघान मध्यम रूप से बाढ़ प्रवण थे। लगभग 19200 कि.मी. की अनुमानित लम्बाई वाली 300 नदियों के साथ लगभग बराबर लम्बाई की काफी छोटी नदियाँ तथा परिभाषित नाले भी थे। इनमें से, गोदावरी, वेनगंगा, कृष्णा, भीमा, ताप्ती, नर्मदा मुख्य नदियाँ/उपनदियाँ हैं। कोंकण में, 22 मुख्य पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ थीं जो अरब सागर में मिलती थीं।

सूनामी: मुंबई ने दर्ज इतिहास में किसी मुख्य सूनामी का अनुभव नहीं किया था। महाराष्ट्र को सार्थक सूनामी जोखिम दर्शाने वाला कोई ऐतिहासिक डाटा अथवा वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है। 1945 की सूनामी घटना, जो विशाल मकरन भूकंप के परिणामस्वरूप आई थी, को सूनामी प्रबंधन योजना हेतु संदर्भ स्तर के रूप में लिया जा सकता था। एक 2 मीटर सूनामी लहर, यदि उच्च ज्वार के दौरान घट रही हो, तो इसका परिणाम अरब सागर में प्रबल ज्वारीय प्रभाव के कारण काफी उँची लहरों में हो सकता है।

2 राज्य में सांस्थानिक प्रबंधन

राज्य में रा.अ.प्र.प्रा. को मई 2006 में स्थापित किया गया था। राज्य सरकार ने राज्य के 33 जिलों हेतु जून 2006 में जि.आ.प्र.प्रा. स्थापित किए। तथापि, मुंबई शहर तथा मुंबई उपनगरों हेतु ग्रेटर मुंबई आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ग्रे.मुं.आ.प्र.प्रा.) की स्थापना केवल जनवरी 2011 में की गई थी।

राजस्व तथा वन विभाग अपने राहत एवं पुनर्वास (रा.पू.) प्रभाग के माध्यम से राज्य में आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी था। संबंधित विभाग जैसे कि लोक स्वास्थ्य, पर्यावरण, गृह, कृषि विभाग को राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार की आपदाओं हेतु नोडल विभाग के रूप में पदनामित थे जिन्होंने आपदा प्रबंधन के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु रा.पू. प्रभाग से समन्वय किया था। रा.पू. प्रभाग ने प्रभागीय आयुक्तों के माध्यम से जिलाधीशों, जो जिले में आपदा प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी थे, को निर्देश जारी किए। जिलाधीश ने आपदा प्रबंधन हेतु तालुका स्तर पर तहसीलदारों तथा संबंधित विभागों के अन्य अध्यक्षों को निर्देश जारी किए।

इस लेखापरीक्षा के लिए हमारे द्वारा सिंधुदुर्ग जिले का चयन किया गया था। 21 जून 2012 को जब हमारी लेखापरीक्षा बीच में थी मुंबई में राज्य सचिवालय भवन में आग लग गई थी। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार आपदा तैयारियों के संबंध में अधिक ब्यौरे प्रदान नहीं कर सकी। इसलिए, हमारे प्रतिवेदन में रा.आ.प्र.प्रा. के कार्य के संबंध में सूचना शामिल नहीं है। हमने जिला स्तरीय तैयारियों को निर्धारित करने हेतु सिंधुदुर्ग तथा ग्रे.मुं.आ.प्र.प्रा. के जिला प्राधिकरण पर ध्यान दिया।

3 आपदा तैयारियों पर अभ्युक्तियाँ

- क. राज्य सरकार ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना 1998 में तैयार की थी। तथापि, रा.आ.प्र.यो. तथा सिंधुदुर्ग जिले की जि.आ.प्र.यो. ने विभिन्न आपदाओं की व्यवस्था हेतु आपदा के व्यापक वर्गीकरण (बढ़ती हुई आपदा स्थिति सहित एल0, एल1, एल2 तथा एल3) न ही विभिन्न विभागों द्वारा विनिर्दिष्ट योजनाओं के समावेशन को सुनिश्चित किया था।
- ख. हमने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के प्रबंधन में अनियमितताएं पाई। इनमें अस्वीकार्य व्यय (₹3.26 करोड़) तथा निधियों का कम उपयोग (₹20.29 करोड़) शामिल थे। सिंधुदुर्ग जिला शमन कार्यों हेतु ₹64.75 लाख में से केवल ₹0.24 लाख का उपयोग कर सका। जिले ने डी.आर.एम. तथा डी.आर.आर. कार्यों के अंतर्गत आवंटित निधियों का भी उपयोग नहीं किया था। (पैरा सं. 5.1.3)
- ग. हमने पाया कि मुंबई शहर हेतु विकास नियंत्रण विनियम, 1991 पहले की राष्ट्रीय बिल्डिंग संहिता पर आधारित था। प्राकृतिक संकटों के प्रति सुरक्षा प्रदान हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 के क्रम में इनका अद्यतन नहीं किया गया था।
- घ. सिंधुदुर्ग जिले में, भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित आपात योजना तथा प्रतिक्रिया प्रणाली विद्यमान नहीं थी तथा समाहर्ता कार्यालय में उपग्रह फोन नहीं था। आपात परिस्थितियों का सामना करने हेतु जीवनरेखा अवसंरचनाएं, चक्रवात शरणगृहों, बहुउद्देशीय निष्क्रमण केन्द्रों आदि की स्थापना नहीं की गई थी।
- ङ. पश्च आपदा रोग निगरानी, अस्पतालों के साथ नेटवर्किंग का निपटान करने हेतु जिले में कोई योजना नहीं थी। (पैरा सं. 7.5.7.1)
- च. राज्य सरकार ने 2005-07, 2007-08 तथा 2008-09 के पुलिस बल आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत मुंबई में बम खोजी एवं निपटान दस्ते की परिचलनात्मक दक्षता को बढ़ाने हेतु पूर्ण कन्टेनमेंट वाहन (₹ 6.24 करोड़), रोबोट (₹ 2.14 करोड़) तथा बम सूटों (₹ 6.22 करोड़) का प्रापण संस्वीकृत किया। फिर भी उपकरणों का प्रापण नहीं किया गया था (अगस्त 2012)।
- छ. हमने पाया कि 2007-08 में तीन, 2008-09 में एक मॉक ड्रिल की गई थीं तथा इसके पश्चात कोई मॉक ड्रिल नहीं की गई थी। इस संबंध में राज्य सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी।

एक सकारात्मक नोट पर:

- मई 2012 में, मुख्य मंत्री ने मुंबई शहर एवं उपनगरों तथा जिला स्तरीय मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा हेतु दो बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों का आयोजन मानसून तैयारियों हेतु राज्य तथा केन्द्र संगठनों के कार्यों को समन्वित करने हेतु किया गया था।
- सिंधुदुर्ग जिले में विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (मा.सं.प्र.) तैयार की गई थी जिनमें समयपूर्व पूर्वानुमान तथा चेतावनियों की प्राप्ति से प्रारम्भ किए जाने वाली कार्रवाई शामिल थी।

राज्य: ओड़िशा

1 पृष्ठभूमि

ओड़िशा भारत के पूर्वी तट पर एक राज्य है जिसने अपनी भौगोलिक विशेषता की दृष्टि से लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़, चक्रवात, सूखे आदि का सामना किया। राज्य अक्टूबर 1999 में एक बड़े चक्रवात से प्रभावित हुआ था, जिसमें 8000 से अधिक मानव जीवनों की हानि हुई थी। आवर्ती बाढ़ें राज्य में काफी क्षति पहुंचाती हैं।



मानचित्र 10.4 ओड़िशा

1.1 राज्य की संवेदनशील परिस्थितियाँ: राज्य में आपदाओं की मुख्य संवेदनशील को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

सुनामी: अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पास सुमात्रा फाल्ट जोन तथा टेक्टोनिक प्लेट तथा बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग में बर्मा सूक्ष्म प्लेट सीमाओं ने राज्य के तट के लिए सुनामी की पर्याप्त आशंकाएं प्रस्तुत की। आकलन के अनुसार विभिन्न जिलों के 266 गाँव सुनामी से प्रभावित रहे थे।

बाढ़: 482 कि.मी. लम्बी तट सीमा ने राज्य को बाढ़, चक्रवातों, तथा तूफानी लहरों की ओर अग्रसर किया। मानसून के दौरान भारी वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ें आईं। राज्य की नदियाँ तथा उनकी कई सहायक नदियाँ एवं शाखाओं ने गम्भीर बाढ़ जोखिमों की ओर अग्रसर किया।

भूकम्प: राज्य का अधिकांश भाग भूकंप जोखिम जोन-II के भीतर आता है। महानदी एवं ब्राह्मणी ग्रेवन, महानदी डेल्टा तथा बालासोर एवं मयूरभंज जिले के भाग भूकम्प जोखिम जोन-III के भीतर आते हैं। लगभग 27 लाख की आबादी वाले 43 शहरी केन्द्र भूकम्प जोखिम जोन-III में आते हैं।

मुख्य प्राकृतिक आपदाएँ जिन्होंने 2007-12 के दौरान राज्य को प्रभावित किया **अनुबंध 10.3** में दी गई हैं।

2 राज्य में सांस्थानिक प्रबंधन

1999 के बड़े चक्रवात के पश्चात, राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्वायत्त निकाय के रूप में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ओ.रा.आ.प्र.प्रा.) की स्थापना की (दिसम्बर 1999)। आ.प्र. अधिनियम के पश्चात, रा.आ.प्र.प्रा. को अध्यक्ष के रूप में मुख्य मंत्री के साथ अक्टूबर 2010 में स्थापित किया गया था तथा जि.आ.प्र.प्रा. को आपदाओं के बचाव, शमन तथा प्रबंधन के उत्तरदायित्वों सहित नवम्बर 2010 में स्थापित किया गया था। रा.आ.प्र.प्रा. को सहायता प्रदान करने हेतु दिसम्बर 2010 में रा.का.स. को गठित किया गया था।

राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग (रा.आ.प्र.वि.) के अंतर्गत कार्यालय विशेष राहत आयुक्त (वि.रा.आ.), ओडिशा ने रा.आ.प्र.प्रा. के सचिवालय के रूप में कार्य किया। विशेष राहत आयुक्त प्राकृतिक संकटों के समय निर्णय लेते थे।

बालेश्वर, भद्रक तथा देहनकनाल जिलों का चयन राज्य में जिला स्तरीय तैयारियों को निर्धारित करने हेतु किया गया था।

3 आपदा तैयारियों पर अभ्युक्तियाँ

- क. 2010 में स्थापित रा.आ.प्र.प्रा. ने अपने प्रारंभ से कोई बैठक नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, वि.रा.आ. ने रा.आ.प्र.प्रा. की बैठक का आयोजन करने हेतु कोई पहल नहीं की थी।
- ख. रा.आ.प्र.का. को आ.प्र. अधिनियम के छः वर्षों से अधिक की समाप्ति के पश्चात भी तैयार नहीं किया गया था। रा.आ.प्र.प्रा. ने जनवरी 2010 में इस उद्देश्य हेतु राज्य को ₹10.63 लाख जारी भी किए थे। पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद राज्य अभी भी अपना आ.प्र.का. तैयार नहीं कर सका।
- ग. मार्च 2005 में तैयार राज्य आपदा प्रबंधन नीति में मानव-निर्मित आपदाएं शामिल नहीं थीं। नीति में (i) सुरक्षित निर्माण कार्य को अपनाना, (ii) जीवन रेखा भवनों की रेट्रोफिटिंग, (iii) स्वामी द्वारा संचालित पुनर्निर्माण कार्य तथा (iv) प्रभावित समुदाय हेतु अस्थायी आजीविका विकल्प सृजित करने हेतु प्रावधान के आगामी पहलुओं की भी कमी थी।
- घ. राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता के अंतर्गत बाँध सुरक्षा हेतु राज्य संकट प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया गया था।

- ड हमने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के प्रबंधन में अनियमितताएं पाईं। इसमें अस्वीकार्य व्यय (₹ 53.83 करोड़), अव्ययित निधियों का निवेश न करना, जिसका परिणाम वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान कुल ₹ 25.16 करोड़ की ब्याज की हानि में हुआ तथा एक से पांच वर्षों (मार्च 2012) की अवधि हेतु अभिकरणों, विभागों, ओ.रा.अ.प्र.प्रा. द्वारा ₹ 526.42 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का गैर- प्रस्तुतीकरण शामिल था। (पैरा सं. 5.1.2, 5.1.3 तथा 5.1.5)
- च. रा.आ.सं.के. तथा जि.आ.सं.के. की स्थापना की गई थी परंतु इनके सुगम संचालन हेतु इन्हें कोई श्रमशक्ति प्रदान नहीं की गई थी।
- छ. प्रारम्भिक चेतावनी संकेतकों वाली जोखिम प्रबंधन योजना राज्य द्वारा तैयार नहीं की गई थी। योजित 220 स्वचालित मौसम संचार प्रणालियों (स्व.मौ.सं.प्र.) में से केवल 37 स्व.मा.सं.प्र. स्थापित की गई थी। इनमें से, सात स्व.मौ.सं.प्र. ठीक से कार्य नहीं कर रही थीं।
- ज. जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र तथा ब्लॉकों में स्थापित 15 अति उच्च फ्रीक्वेंसी (अ.उ.फी.) सेट काम नहीं कर रहे थे।
- झ. भारत सरकार ने राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र तथा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र के सुदृढीकरण हेतु मार्च 2011 में ₹ 66.91 लाख के अनुदान जारी किए। हमने पाया कि राज्य तथा जिला आ.सं.के. हेतु अपेक्षित उपकरण तथा मानव संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए ₹ 43 लाख का उपयोग किया गया था। अन्य ₹ 10 लाख का वीडियो कन्फ्रेन्सिंग सुविधा हेतु प्रावधान किया गया था। अतिरिक्त रा.आ.सं.के. को प्रशासनिक विलम्बों के कारण स्थापित नहीं किया जा सका।
- ञ. ओडिशा राज्य तुरंत कार्रवाई बल पुलिस, अभियांत्रिकी तथा चिकित्सा स्टाफ सहित एक संघटित इकाई नहीं थी। यह केवल राज्य शस्त्र बल के कार्मिकों से बनी थी।
- ट. हमने पाया कि पर्याप्त अनाज आरक्षण का अनुक्षण नहीं किया गया था तथा सितम्बर 2011 की बाढ़ हेतु ओडिशा राज्य सिविल आपूर्ति निगम द्वारा राहत चावल (ग.रे.नी. के परिवारों को 10 दिनों की राहत हेतु) मार्च 2012 में बाढ़ प्रभावित जिलों को आपूर्ति की गई थी। (पैरा सं. 9.2.5.2)
- ठ. 114 चक्रवात केन्द्रों पर बचाव मदें या तो गैर-क्रियात्मक थी या फिर उनका उपयोगी जीवन समाप्त हो चुका था। इसमें जीवन रक्षक पेटी, लाईफ जैकेट तथा फाईबर की रस्सियां शामिल थीं जिन्हें जून 2012 तक बदला नहीं गया था। जगतसिंहपुर तथा कटक जिलों को प्रदान दो उपग्रह फोन खराब थे।
- ड. हमने पाया कि शहरी क्षेत्रों को आपदा प्रतिस्कंदी बनाने हेतु एक कदम के रूप में बिल्डिंग उपनियम एवं विनियम का संशोधन करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए थे। चयनित जिलों में, उनके बिल्डिंग विनियम में कोई संशोधन नहीं किया गया था। (पैरा सं. 9.1.7.3)
- ढ. 2008-12 की अवधि के दौरान राज्य स्तर पर केवल 153 दमकल सेवा तथा पुलिस कार्मिकों को तथा 2008-09 के दौरान, 111 बहुउद्देशीय चक्रवात शरणगृह स्तर पर 2775 स्थानीय लोगों

को खोज एवं बचाव पर प्रशिक्षण दिया गया था। राज्य अथवा जिला स्तर पर अन्य मुख्य अभिकरण जैसे होम गार्ड, चिकित्सा, रा.के.को., रा.से.यो., ने.पु.के.सं. तथा राजस्व कार्मिकों को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। वर्ष 2007-12 के दौरान, ओ.रा.आ.प्र.प्रा. कार्मिकों द्वारा तैयारी उपायों के रूप में चार स्थानों पर केवल पांच मॉक-ड्रिल की गई थी। (पैरा सं. 8.3.2)

ण. चक्रवात शरणगृहों, बाढ़ शरणगृहों तथा जि.आ.सं.के. को प्रदान उपकरण की स्थिति तथा संचालकों अथवा प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता को मॉनीटर करने हेतु कोई आवधिक संयुक्त निरीक्षण नहीं किया गया था।

त. राज्य ने किसी विशिष्ट आपदा से निपटने हेतु प्रत्येक नोडल अभिकरण की पारिभाषित भूमिका तथा उत्तरदायित्वों सहित मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित नहीं की थी।

एक सकारात्मक नोट पर:

- 1999 के बड़े चक्रवात के पश्चात, पिछले अनुभवों से सीख को ध्यान रखने हेतु सांस्थानिक ढांचे के सुदृढीकरण हेतु कुछ उपाय किए गए थे।
- जोखिमों का विश्लेषण करने हेतु प्रबंधन के पास आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली उपलब्ध थी। राज्य ने जिलों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर स्थापित 177 वर्षा गेजों से प्राप्त सूचना से वर्षा की तीव्रता तथा जोखिम के क्षेत्रों का विश्लेषण करने हेतु अपने स्वयं का प्र.सू.प्र. की स्थापना की थी।
- 35 चक्रवात चेतावनी प्रसार प्रणालियों को तटीय जिलों में स्थापित किया गया था, मौसम संबंधी संकटों के पूर्वानुमान हेतु 37 स्वचलित मौसम प्रणालियों तथा वर्षा की तीव्रता के पूर्वानुमान हेतु विभिन्न स्थानों पर 177 वर्षा गेज संस्थापित किए गए थे।

राज्य: राजस्थान

1. पृष्ठभूमि

राजस्थान ने गम्भीर जल की कमी का सामना किया, कम वर्षा होती थी, तथा इसे एक शुष्क तथा अर्ध-शुष्क के रूप में वर्गीकृत किया गया था। भौगोलिक रूप से, राज्य में भूमि का बड़ा भाग मरुस्थल था। देश के 10.4 प्रतिशत क्षेत्र तथा उसकी 5.5 प्रतिशत जनसंख्या वाले राजस्थान में देश के केवल लगभग एक प्रतिशत जल संसाधन थे। जलवायु संबंधी स्थितियों तथा कृषि कार्य के आधार पर, राजस्थान को शुष्क पश्चिमी से बाढ़ प्रवण पूर्वी के बीच 10 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में बाँटा गया था।



मानचित्र 10.5: राजस्थान

1.1 राज्य की संवेदनशील परिस्थितियाँ: राज्य में मुख्य आपदा परिस्थितियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया था::

सूखा: कम वर्षा के अनियमित व्यावहारिक मानसून ने राजस्थान को सूखे के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया। सूखे का खाद्य उत्पादन तथा राज्य की पूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष तथा सार्थक प्रभाव था।

बाढ़: राज्य में आमतौर पर वर्षा की कमी थी, फिर भी मानसून अवधि के दौरान इसके अनियमित व्यवहार के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ का अनुभव भी किया था। जयपुर, लूनक्रांसर तथा कई अन्य स्थानों में बाढ़ प्रकोप ने भारी क्षतियाँ पहुँचाईं।

भूकम्प: राज्य में भूकम्प संकट मध्यम था। राज्य भूकम्प जोन II (कम क्षति जोखिम जोन), III (मध्यम

क्षति जोखिम जोन) तथा IV (अधिक क्षति जोखिम जोन) में आता था। जालौर, सिरौही, बाड़मेर जिलों के कुछ क्षेत्र तथा अलवर जिला जोन IV में आए जबकि बिकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरौही, डूंगरपुर, अलवर तथा बंसवाड़ा के अधिकांश भाग जोन III में आते हैं। शेष जिले जोन II के अंतर्गत थे। अतीत में राज्य तथा इसकी सीमा के निकट 5 से 7 के बीच के माप के भूकम्प आए थे।

पिछले दशक में बड़ी आपदाओं तथा आपातों के ब्यौरे अनुबंध 10.4 में दिए गए हैं।

2 राज्य में सांस्थानिक प्रबंधन

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सितम्बर 2007 में स्थापित किया गया था। राज्य के सभी जिलों में जि.आ.प्र.प्रा. की स्थापना सितम्बर 2007 में की गई थी। अक्टूबर 2007 में राज्य में राज्य कार्यकारी समिति गठित की गई थी।

राजस्व प्रशासन आयुक्त, आपदा प्रबंधन तथा शमन (राज्य राहत आयुक्त) राज्य में बचाव, राहत तथा पुनर्वास कार्यों हेतु उत्तरदायी था। उसने आपदा प्रबंधन तथा राहत उपायों हेतु योजना तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय करने में नोडल अभिकरण के रूप में कार्य किया।

जिला स्तरीय तैयारियों को निर्धारित करने हेतु राज्य में बाड़मेर तथा जालौर जिलों का चयन किया गया था। यह दोनों जिले बहु संकटीय जोनों में आए तथा सूखे, बाढ़ तथा भूकम्प के प्रति संवेदनशील हैं।

3 आपदा तैयारियों पर अभ्युक्तियाँ

- क. राज्य सरकार ने रा.आ.प्र.प्रा. को अपने कार्यों को प्रभावी रूप से करने हेतु अलग स्टाफ तथा कार्यालय भवन प्रदान नहीं किया था। प्राधिकरण का कार्य आपदा प्रबंधन तथा राहत विभाग (आ.प्र.रा.वि.) के स्टाफ के माध्यम से आ.प्र.रा.वि. के परिसर में निष्पादित किया जा रहा था।
- ख. रा.आ.प्र.प्रा. हेतु सलाहकार समिति गठित नहीं की गई थी। रा.आ.प्र.का. को अंतिम रूप नहीं दिया गया था तथा आपदा प्रबंधन हेतु राज्य नीति भी ड्राफ्ट स्तर पर थी।
- ग. नमूना जांच किए जि.आ.प्र.प्रा. के पास अपनी स्वयं की स्थापना नहीं थी। प्राधिकरण का कार्य संबंधित जिलाधीशों द्वारा प्रदत्त स्टाफ के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा था।
- घ. मई 2012 तक जिला सलाहकार समितियों का गठन नहीं किया गया था। नमूना जाँच किए जिलों हेतु जिला आपदा प्रतिक्रिया योजनाएं स्वीकृत नहीं थीं।
- ङ. हमने पाया कि राज्य ने अव्ययित राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधियों का निवेश नहीं किया था जिसका परिणाम 2008-10 के दौरान ₹ 65.21 करोड़ के ब्याज की संभाव्य हानि में हुआ। (पैरा सं. 5.1.2)
- च. हमने पाया कि राज्य ई.ओ.सी. उचित रूप से कार्य नहीं कर रही थीं। बाड़मेर जिले में ई.ओ.सी. का संचालन समाहर्ता कार्यालय परिसर के सम्मेलन कक्ष में शिक्षा विभाग के स्टाफ द्वारा किया

- गया था। इसी प्रकार, जालौर जिले में ई.ओ.सी. को कलेक्टर के कार्यालय परिसर से कलेक्टर के स्टाफ द्वारा संचालित किया जा रहा था।
- छ. सं.रा.वि.का.-डी.आर.आर. परियोजना हेतु ₹ 65.47 लाख का स्वीकृत बजट था। इसमें से जुलाई 2010 में केवल ₹ 26.18 लाख जारी किए गए थे तथा राज्य द्वारा केवल ₹ 0.17 लाख का उपयोग किया गया था।
- ज. हमने पाया कि आपदा जोखिम को कम करने हेतु राज्य में सांस्थानिक सुदृढीकरण, क्षमता निर्माण तथा विकास को मुख्यधारा में लाने हेतु विभिन्न कार्यों को निष्पादित नहीं किया था।
- झ. हमने पाया कि आ.रा.नि. से खरीदे गए संचार तथा चिकित्सा उपकरणों को स्थापित नहीं किया गया था।
- ण. सितम्बर 2009 में, किसी भी आपदा के मामले में सुगम एवं समयपूर्व संचार हेतु पुलिस अधीक्षक (पु.अ.), बाड़मेर को 20 वाट के 17 हाई बैंड फ्रीक्वेंसी (एच.बी.एफ.) बेतार सेट तथा 2 वाट के 7 सेटों की आपूर्ति की गई थी। इनमें से, 20 वाट के 14 बेतार सेट तथा तीन 2 वाट के सेट बिना संस्थापन के पड़े थे (मई 2012)। मई 2012 में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गैर-संस्थापित बेतार सेट उप-भण्डार, बाड़मेर में पड़े थे तथा उनका संवितरण जल्द ही प्रारम्भ किया जाएगा। इसी प्रकार, अप्रैल तथा मई 2009 में, 20 वाट के 18 एच.बी.एफ. बेतार सेटों तथा 2 वाट के 7 सेटों की पु.अ., जालौर को आपूर्ति की गई थी। इनमें से, 20 वाट के 17 सेट तथा 2 वाट के 2 सेट मई 2012 तक गैर-संस्थापित पड़े थे।
- ट. विद्यालयी सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन पर राज्य में शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कोई औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए थे। 2010-12 के दौरान निधियों के व्यपगमन से बचने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के क्षमता निर्माण हेतु जारी केन्द्रीय सहायता का गलत वर्गीकरण किया गया था। (पैरा 8.3.1)
- ठ. हमने पाया कि आ.प्र.रा.वि., बाड़मेर तथा जालौर में, जिले में निष्पादित आपदा कार्यों के बचाव, तैयारियों तथा शमन के संबंध में कोई वार्षिक प्रगति रिपोर्टें/आवधिक रिपोर्टें नहीं थीं।

एक सकारात्मक नोट पर:


- जिला/प्रभागीय स्तर पर पुस्तिका तैयार की गई थी जो समयपूर्व चेतावनी प्रणालियों, बाढ़ एवं चक्रवात के प्रवण क्षेत्रों तथा राहत केन्द्रों के संबंध में सूचना देती है।
- आपदा के दौरान विद्युत आपूर्ति प्रत्यावर्तन हेतु पहले ही आवश्यक प्रबंध कर लिए गए थे।
- पेय जल की उपलब्धता तथा सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिलों के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा सुनिश्चित किया गया था।

राज्य: तमिलनाडु

1 पृष्ठभूमि

तमिलनाडु में लगभग 1076 कि.मी. लम्बी तट रेखा है। उत्तरपूर्वी मानसून अवधि के दौरान मध्यम से गम्भीर चक्रवात इसके तटों को प्रभावित करते हैं। मानसून के दौरान कई नदी क्षेत्र बाढ़ों के प्रवण थे। राज्य के पहाड़ी जिले (नीलगिरी तथा डिंडीगूल) भू-स्खलन के प्रवण थे। तटीय क्षेत्र में जनसंख्या का उच्च घनत्व, प्राथमिक क्षेत्र पर बड़े भाग की निर्भरता तथा तटीय क्षेत्रों एवं नदी डेल्टों पर पर्यावरणीय मामलों ने राज्य को एक बड़ी आपदा जोखिम वाला राज्य बनाया।

नवम्बर 2008 में चक्रवात निशा, नवम्बर 2009 में बड़ा भू-स्खलन तथा दिसम्बर 2011 में चक्रवात थाणे बड़ी आपदाएं थीं जो हाल के समय में राज्य में आई थीं।



मानचित्र 10.6: तमिलनाडु

1.1 राज्य की संवेदनशील परिस्थितियां: राज्य में मुख्य आपदा संवेदनशीलता को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया था:

भूकम्प: यद्यपि देश के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग के राज्यों की तरह भूकम्पी रूप से सक्रिय न होने से तमिलनाडु राज्य में छोटे से मध्यम भूकम्प आए। राज्य की राजधानी, चैन्नई भूकम्पी जोन III में है।

चक्रवात: राज्य प्रायद्वीपीय भारत के अति संवेदनशील क्षेत्र में अपनी स्थिति के कारण चक्रवाती तूफानों तथा बाढ़ के कारण प्राकृतिक संकटों द्वारा बार-बार होने वाले विनाश से ग्रस्त था। 1900-2009 के दौरान, 50 चक्रवाती तूफानों जिनमें से 26 काफी गम्भीर थे, ने तमिलनाडु के तट को पार किया। राज्य की पूर्वी तटीय सीमा में 13 जिले स्थित हैं तथा तटीय रेखा पर 25 ब्लाक स्थित हैं। औसतन, राज्य उत्तरपूर्वी मानसून अवधि में एक अथवा दो गम्भीर चक्रवातों का सामना करता है। गैर-चक्रवाती स्थिति के दौरान, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव तथा अवनमन के निर्माण के परिणामस्वरूप राज्य में भारी वर्षा हुई। कम दबाव तथा अवनमन से, जो तीन से चार दिनों तक बनता है, तेज वर्षा होती है जिससे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बाढ़ तथा सैलाब आता है।

सुनामी: राज्य सुनामी के प्रवण भी हैं तथा 2004 में सुनामी ने राज्य के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया था। प्रभाव गंभीर था क्योंकि तमिलनाडु में 7996 मौतों सहित प्रभावित राज्यों में 10000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी।

सूखा: 2002-03 तथा 2003-04 में गम्भीर सूखा पड़ा था जिसने राज्य के अधिकांश जिलों को प्रभावित किया।

भू-स्खलन: उत्तरपूर्वी मानसून 2009 के दौरान, राज्य में भारी वर्षा हुई तथा परिणामस्वरूप, नीलगिरी जिले में 899 भू-स्खलन हुए थे। उत्तरपूर्वी मानसून 2010 के दौरान, भारी वर्षा हुई थी जो जीवन तथा सम्पत्ति की बड़ी हानि का कारण बनी।

पिछले दशक के दौरान बड़ी आपदाओं अथवा आपातों के ब्यौरे अनुबंध 10.5 में दिए गए हैं।

2. राज्य में सांस्थानिक प्रबंधन

रा.आ.प्र.प्रा. का गठन सितम्बर 2008 में किया गया था तथा जि.आ.प्र.प्रा. जनवरी 2012 में स्थापित किए गए थे। राजस्व प्रशासन आयुक्त, आपदा प्रबंधन तथा शमन विभाग, जो राज्य राहत आयुक्त भी था, राज्य में बचाव, राहत तथा पुनर्वास कार्यों हेतु उत्तरदायी था। उसने आपदा अवधि से पहले, पश्चात तथा दौरान राहत, बचाव तथा पुनरुद्धार के उपाय करने हेतु योजना तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय में नोडल अभिकरण के रूप में कार्य किया। जिलाधीश ने जिला स्तर पर नोडल अभिकरण के रूप में कार्य किया।

जिला स्तरीय तैयारियों को निर्धारित करने हेतु राज्य में टूथूकूडी, तिरुनेवल्ली तथा कन्याकुमारी जिलों का चयन किया गया था।

3 आपदा तैयारियों पर अभ्युक्तियाँ

- क. रा.आ.प्र.प्रा. का सितम्बर 2008 में गठन किया गया था परंतु उसने एक बार भी बैठक नहीं की थी। रा.का.स. जनवरी 2009 में गठित की गई थी परंतु उसने जून 2009 में केवल एक बार बैठक की थी तथा वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान किसी भी बैठक का आयोजन नहीं किया गया था। जि.आ.प्र.प्रा. की स्थापना छः वर्षों के विलम्ब के पश्चात जनवरी 2012 में की गई थी परंतु एक बार भी बैठक नहीं की थी।
- ख. न तो रा.आ.प्र.का. और न ही राज्य आपदा प्रबंधन नियमावली तैयार की गई थीं। राज्य सरकार ने रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों के विभिन्न विभागों द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी भी सुनिश्चित नहीं की थी।
- ग. हमने पाया कि तिरुल्लवल्ली जिले में, जून 2008 से दिसम्बर 2011 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं हेतु राहत के अव्ययित शेष पर ₹22.85 लाख के ब्याज अर्जन को वापस सरकारी खाते में प्रेषित नहीं किया था।
- घ. चयनित जिलों में ई.ओ.सी. के लिए कोई समर्पित श्रमशक्ति संस्वीकृत नहीं की गई थी। वी.एच.एफ. संचार के माध्यम से जिला ई.ओ.सी. से राज्य ई.ओ.सी. के साथ संचार संभव नहीं था तथा उपलब्ध सभी मौसमों में विश्वसनीय संचार केवल पुलिस का माइक्रो वेव संचार था। नमूना जांच किए जिलों में फोन काल सुनने हेतु वी.एच.एफ. सेट के साथ एक सिपाही प्रत्येक वर्ष केवल अक्टूबर से दिसम्बर के दौरान तैनात किया जाता था।
- ङ. मछुआरों के 21 गाँव तथा 163.5 कि.मी. लंबे तटबंधों वाले तूतीकोरिन जिले में गश्ती नाव नहीं थी। किसी भी तटीय गाँव में कोई समयपूर्व चेतावनी प्रणाली नहीं थी।
- च. ₹ 262.86 करोड़ की लागत पर 121 बहुउद्देशीय निकासी शरणगृहों के निर्माण हेतु स्वीकृति दिसम्बर 2011 में दी गई थी। सितम्बर 2012 को चक्रवात शरणगृहों का निर्माण प्रगति में था। (पैरा सं. 9.3.6.4)
- छ. राज्य सरकार ने राज्य तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को पर्याप्त स्टाफ प्रदान नहीं किया था। नमूना जांच किए गए प्रत्येक जिले में आपदा प्रबंधन सेल केवल एक सहायक द्वारा मानवित था।
- ज. वर्ष 2010-11 के लिए क्षमता विकास हेतु आ.प्र. सेल को जारी ₹5 करोड़ की निधियों का न तो उपयोग किया गया था और न ही अभ्यर्पण किया गया था। भूकम्प हेतु मॉक ड्रिल्स तथा समुदाय जानकारी पर ध्यान नहीं दिया गया था। (पैरा सं. 8.3.2)

एक सकारात्मक नोट पर:

- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के 264 वरिष्ठ स्तरीय अधिकारियों को रा.आ.प्र.सं. में प्रशिक्षण प्रदान किए गए थे।
- जन शिक्षा तथा समुदाय जानकारी के एक भाग के रूप में तथा लोगों को संवेदनशील बनाने हेतु


राज्य में आपदा प्रबंधन पर कठपुतली के तमाशे तथा स्ट्रीट प्ले आयोजित किए गए थे।

- कन्याकुमारी, तूतीकोरिन तथा तिरुनेवल्ली के चयनित जिलों में राहत सामग्री का पर्याप्त भण्डारण रखने हेतु प्रबंध किए गए थे। बाढ़ तैयारियों हेतु मानसून से पहले बाँधों, तटबंधों तथा अन्य अवसंरचनात्मक उपायों के निरीक्षण हेतु निर्देश जारी किए गए थे।

राज्य: उत्तराखण्ड

1 पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड अपने जटिल भू-भाग तथा चालू संरचनात्मक कार्यों के कारण, उच्च रूप से भूकंपों, भू-स्खलनों, बादल फटने तथा जलप्लावन बाढ़ों जैसे संकटों के प्रवण है। राज्य ने प्रत्येक वर्ष कई वन आग तथा सड़क दुर्घटनाओं का भी अनुभव किया।



मानचित्र 10.7: उत्तराखण्ड

1.1 राज्य की संवेदनशील परिस्थितियाँ: राज्य में मुख्य संवेदनशीलता को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया था:

- **भूकम्प:** पहाड़ों में भूकंप सबसे विनाशक आपदा थे। राज्य के 13 जिलों में से चार जिले पूर्ण रूप से तथा पांच आंशिक रूप से भारत के भूकंप जोखिम मानचित्र के जोन V में आते थे। राज्य के शेष हिस्से जोन IV में पड़ते थे। तथापि, चमोली (1999) के पश्चात उत्तराखण्ड में किसी बड़े भूकंप का अनुभव नहीं किया गया था। पिछले पांच वर्षों (2007 से आगे) में उत्तराखण्ड ने भू-स्खलनों तथा बादल फटने की कई घटनाओं का सामना भी किया था।
- पिछले पांच वर्षों में, विभिन्न आपदाओं के कारण 653 लोगों की मौत हुई। इन दुर्घटनाओं में से सत्ताइस प्रतिशत भू-स्खलन, 21 प्रतिशत ओलावृष्टि, तूफान एवं महामारी, 28 प्रतिशत भारी वर्षा, 18 प्रतिशत भूकंप तथा बादल फटने, दो प्रतिशत हिमस्खलन से तथा चार प्रतिशत अग्नि दुर्घटनाओं के कारण हुई थी।

पिछले पांच वर्षों के दौरान बड़ी आपदाओं अथवा आपातों के ब्यौरे **अनुबंध 10.6** में दिए गए हैं।

2 राज्य में सांस्थानिक प्रबंधन

आ.प्र. अधिनियम के अनुसार मुख्यमंत्री तथा आठ अन्य सदस्यों द्वारा अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (रा.आ.प्र.प्रा.) को स्थापित किया गया था (अक्टूबर 2007)। राज्य कार्यकारी समिति (रा.का.स.) जनवरी 2008 में गठित की गई थी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को भी सभी जिलों में स्थापित किया गया था।

आपदा प्रबंधन विभाग राज्य में नोडल विभाग है, जो सभी आपदा प्रबंधन संबंधित कार्यों को समन्वित तथा कार्यान्वित करने हेतु उत्तरदायी है। आपदा संबंधी अध्ययन करने तथा विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु विभाग में एक स्वायत्त संस्थान नामतः आपदा शमन तथा प्रबंधन केन्द्र (आ.श.प्र.के.) भी था। आ.श.प्र.के. पूरे वर्ष राज्य आपात संचालन केन्द्र (रा.आ.सं.के.) को नियंत्रित करने के लिए भी उत्तरदायी था।

जिला स्तरीय तैयारियों को निर्धारित करने हेतु राज्य में नैनीताल जिले का चयन किया गया था।

3 आपदा तैयारियों पर अभ्युक्तियाँ

- क. राज्य में विभिन्न आपदाओं की बारम्बारता तथा तीव्रता को अभी निर्धारित नहीं किया गया था।
- ख. यद्यपि रा.आ.प्र.प्रा. को अक्टूबर 2007 में स्थापित किया गया फिर भी इसने कोई नियम, विनियम, नीतियां तथा दिशानिर्देश तैयार नहीं किए थे। रा.का.स. जनवरी 2008 में गठित की गई थी परंतु इसके सृजन से कभी कोई बैठक नहीं की थी। जि.आ.प्र.प्रा. का दिसम्बर 2007 में नैनीताल में गठन किया गया था। प्रारम्भ से, जि.आ.प्र.प्रा. ने केवल दो बैठक की (अप्रैल तथा मई 2011)। इस प्रकार, राज्य प्राधिकरण वास्तविक रूप से गैर क्रियात्मक थीं।
- ग. राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जा रही थी तथा विभिन्न आपदाओं हेतु कार्य करने योग्य कार्यक्रमों को तैयार नहीं किया गया था।
- घ. हमने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के प्रबंधन में अनियमितताएं पाईं। इसमें निधियों का निवेश न करना शामिल है जिसका परिणाम 2007-12 के दौरान ₹ 9.96 करोड़ के ब्याज की संभावित हानि में हुआ था। 2007-11 के दौरान केन्द्रीय अंश को जारी करने में 80 दिनों से 184 दिनों के बीच विलम्ब थे तथा 2011-12 में कोई निधियाँ जारी नहीं की गई थी क्योंकि राज्य सरकार ने उपयोग प्रमाणपत्र तथा प्राकृतिक संकट की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। (पैरा सं. 5.1.2 तथा 5.1.5)
- ङ. समयपूर्व चेतावनी हेतु राज्य में कोई योजना तैयार नहीं की गई थी। संचार प्रणाली अपर्याप्त थी। इसका परिणाम सुभेद्य जनसंख्या को विलम्बित सूचना में हुआ। (पैरा सं. 6.3.3)

- च. राज्य सरकार के आपदा सुरक्षा सेल ने अब तक तीन शहरों में 7374 ईमारतों का निर्धारण किया था जिनमें से 1109 ईमारतें मध्यम भूकंप के प्रति संवेदनशील पाई गई थीं। इन ईमारतों की मरम्मत की जानी थी परंतु इस संबंध में ऐसे कोई उपाय नहीं किए गए थे। (पैरा सं. 9.1.7.5)
- छ. जून 2008 में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 233 आपदा प्रभावित गाँवों में से केवल 101 गाँवों को संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचान की। राज्य सरकार द्वारा उनकी पहचान के पश्चात चार वर्षों की समाप्ति के बावजूद भी उनके पुनर्वास हेतु कोई उपाय नहीं किए गए थे।
- ज. राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए कोई पद संस्वीकृत नहीं किया था जिसने प्रबंधन सूचना प्रणाली को प्रभावित किया। जिला स्तर पर जि.आ.सं.के. (जिला आपात संचालन केन्द्र) में श्रमशक्ति की भारी कमी थी। 13 जिलों में, 117 की संस्वीकृत श्रमशक्ति (13 जिलों में 9 पद प्रत्येक) के प्रति केवल 66 पद (56 प्रतिशत) भरे थे।
- झ. यह भी पाया गया था कि जिला, ब्लाक तथा ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन के बचाव तथा शमन में लगे स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोई प्रवीण प्रशिक्षक नियुक्त नहीं किए थे। आपात अथवा विशाल दुर्घटना संबंधित प्रबंधन हेतु अस्पताल तैयारियों में चिकित्सा कार्मिक भी प्रशिक्षित नहीं थे। (पैरा सं. 7.5.7.2)

एक सकारात्मक नोट पर:


- आपात संचालन केन्द्रों को दोनों राज्य (जुलाई 2006) तथा जिला स्तर (नवम्बर 2009) पर स्थापित किया गया था।
- पश्च आपदा सूचना के प्रचार हेतु संचार उपकरण जैसे कि उपग्रह फोन, पुलिस बेतार, एस.एम.एस. नेटवर्क तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग को स्थापित किया गया था। आपदा घटना से मीडिया का नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा था तथा एस.एम.एस. एवं अध्ययन सामग्रियों के माध्यम से सतर्क किया जा रहा था।
- भूकंप तथा भू-स्खलन हेतु, राज्य स्तर पर भौ.सू.प्र. के अधिकारी (परियोजना स्टाफ) आठ मुख्य शहरों का ब्यौरेवार संवेदनशीलता निर्धारण कर रहे थे। भौ.सू.प्र. आपदा प्रबंधन उद्देश्यों तथा विकासात्मक योजना के लिए उपयुक्त थी।
- आपदा प्रबंधन विभाग ने 546 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के माध्यम से 71474 सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया।

राज्य: पश्चिम बंगाल

1 पृष्ठभूमि

पश्चिम बंगाल, बंगाल डेल्टा का एक भाग, जिसका बाढ़ों का इतिहास है। यह इसलिए था क्योंकि राज्य का भूमि द्रव्यमान डेल्टा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से नदियों की गंगा-पदमा प्रणाली द्वारा बना था जो बाढ़ अवसाद का मुख्य वाहक होने का एक अनुबद्ध है। वर्तमान में 18 जिलों में 110 ब्लकों से अधिक तक में फैले राज्य के कुल क्षेत्र का 42.30 प्रतिशत बाढ़ संभाव्य है। बाढ़ द्वारा सबसे बड़ा प्रभावित क्षेत्र, जैसा कि 1978 में दर्ज किया गया, लगभग 30,607 वर्ग कि.मी. है। 2000 में लगभग 23,970 वर्ग कि.मी. क्षेत्र बाढ़ द्वारा बरबाद हुआ था।

राज्य में, सभी जिले आपदा प्रवण हैं। आपदा प्रबंधन रिपोर्ट (2007-11) ने दर्शाया कि राज्य ने अवधि के दौरान ₹ 435.49 करोड़ (18 जिलों के 598 ब्लकों में) की हानि वहन की थी तथा 164 लाख लोग प्रभावित हुए थे।



मानचित्र 10.8 पश्चिम बंगाल

1.1 राज्य की संवेदनशील परिस्थितियाँ: राज्य में बड़ी आपदा संवेदनशीलता को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया था:

भूकंप: भूकंपी संकट जोनेशन मानचित्र में क्षेत्रों को भूकंपी जोन II-V में बाँटा गया था। न्यूनतम अनुभव किया संकट, जोन II पश्चिम बंगाल के दक्षिण-पश्चिम भाग (पूरुलिया) में था जबकि कोलकाता, मुर्शीदाबाद, बीरभूम, वर्द्धमान, हुगली, हावड़ा, नाडिया, बंकुरा, पूर्वा तथा पश्चिमी मिदनापुर के जिले जोन III के अंतर्गत आए। जोन IV ने उत्तरी एवं दक्षिणपूर्वी कोलकाता, दार्जिलिंग, उत्तर एवं दक्षिणी दीनाजपुर, जलपाईगुड़ी एवं कूचबेहर के भाग, उत्तरी एवं दक्षिण 24-परगना तथा मालदा को शामिल किया। जोन V जलपाईगुड़ी तथा कूचबेहर के पूर्वी भाग पर अंकित था।

भू-स्खलन: भू-स्खलन संकट अधिकतर दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापक है। शहरीकरण, मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र में निर्माण कार्य के कारण अक्सर भू-स्खलनों को प्रवर्तित करता है।

बाढ़: लगभग 55.8 प्रतिशत राज्य बाढ़ संभावित था। राज्य में मुख्य वर्षा मौसम अर्थात मानसून वर्षा जून से सितम्बर तक था। वर्ष में कुल वर्षा की पच्चतर प्रतिशत दक्षिण-पश्चिम मानसूनी वायु-प्रवाह के कारण होती है। सिंचाई विभाग के अनुसार, पश्चिम बंगाल का 37.6 लाख हैक्टर (भौगोलिक क्षेत्र का 42.4 प्रतिशत तथा इसके कुल फसल क्षेत्र का 69 प्रतिशत) भाग बाढ़ प्रवण था। बाढ़ें हिमालय की नदियों, गंगा-पदमा-भागीरथी नदी प्रणाली, पश्चिमी नदियों तथा ज्वारिय-नदियों के कारण आती है। इन नदी प्रणालियों के प्रभाव के अंतर्गत 15 जिले मध्यम से अति उच्च के बीच के जोखिम के साथ बाढ़ के प्रवण थे।

सूखा: बंकुरा, पुरुरिया, बीरभूम के जिले तथा पश्चिम मिदनापुर के भाग मुख्यरूप से वर्षा कमी तथा प्रतिकूल मृदा स्थितियों के कारण नियमित अंतरालों पर सूखे से प्रभावित हैं।

चक्रवात: राज्य का तटीय क्षेत्र चक्रवात के प्रवण थे। संभावित जिले पूर्व मिदनीपुर, 24-परगनास-दक्षिण, 24 परगनास-उत्तर, हावड़ा तथा हुगली थे।

आपदाओं के ब्यौरे जिन्होंने पिछले दशक में पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया **अनुबंध 10.7** में दिए गए हैं।

2 राज्य में सांस्थानिक प्रबंधन

रा.आ.प्र.प्रा. तथा सभी जिलों में जि.आ.प्र.प्रा. को अगस्त 2007 में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। आपदा प्रबंधन विभाग (आ.प्र.वि.) की अध्यक्षता सचिव द्वारा की जाती थी तथा इसको सचिवालय, निदेशालय, जिलों, उप-प्रभागों तथा ब्लाक स्तरों पर कार्य कर रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। आ.प्र.वि. को आपदाओं से बचाव, तैयारियाँ तथा शमन के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करना था।

जिला स्तरीय तैयारियों को निर्धारित करने हेतु राज्य में दार्जिलिंग, वर्द्धमान, बीरभूम जिलों का चयन किया गया था।

3 आपदा तैयारियों पर अभ्युक्तियाँ

- क. 2008-09 में ड्राफ्ट रा.आ.प्र.का. तैयार किया गया था तथा 2009-10 में अद्यतन किया गया था परंतु रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा स्वीकृत नहीं था। राज्य ने आ.प्र. अधिनियम के कार्यान्वयन को नियंत्रित करने हेतु नियम तैयार नहीं किए थे। रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा जारी ₹ 10.63 लाख में से केवल ₹ 4.55 लाख (43 प्रतिशत) का उपयोग 2009-10 तथा 2011-12 के लिए रा.आ.प्र.का. को तैयार करने हेतु किया गया था। नमूना जांच किए जिलों में 2007-12 के दौरान जि.आ.प्र.का. तैयार किया गया था परंतु यह योजनाएं रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा स्वीकृत नहीं थीं।
- ख. रा.आ.प्र.प्रा. ने अपने प्रारम्भ से केवल सितम्बर 2008 में एक बार बैठक की थी। राज्य सलाहकार समिति अप्रैल 2010 में गठित की गई थी परंतु इसने कभी बैठक नहीं की गई थी (सितम्बर 2012)।
- ग. राज्य शस्त्र पुलिस (रा.श.पु.) की तीन प्लाटून आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित थी तथा आसनसोल, बेरकपुर तथा रायगंज में स्थित थी। चौथी प्लाटून उत्तरी बंगाल के आपदा प्रवण क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित थी। इसे अभी तक प्राप्त नहीं किया गया था (सितम्बर 2012)।
- घ. कोलकाता पुलिस ने आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु मई 2009 से मार्च 2010 के बीच विभिन्न विशेष समूहों-आपदा प्रबंधन समूह, कोलकाता आपदा राहत बल तथा कोलकाता पुलिस बचाव बल की स्थापना प्रस्तावित की। तथापि, यह प्रस्तावों राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं थे। आपदा प्रबंधन में विशिष्ट समूह, बल की आपदा तैयारियों में सुधार कर सकते थे।
- ङ. सिविल रक्षा के अंतर्गत सिविल आपात बल गठित किया गया था परंतु पर्याप्त श्रमशक्ति तथा उपकरण प्रदान नहीं किए गए थे। (पैरा सं. 7.4.1.2)
- च. हमने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के प्रबंधन में अनियमितताएं पाईं। इसमें राज्य द्वारा अप्रयुक्त शेष का गैर-निवेश शामिल है जिसके लिए इसको 2011-12 तक ₹ 187.80 करोड़ का ब्याज भार वहन करना था। ₹ 47.70 करोड़ का अस्वीकार्य व्यय भी किया गया था। (पैरा सं. 5.1.2 तथा 5.1.3)
- छ. रा.आ.प्र.प्रा. ने उच्च, मध्यम तथा निम्न के अनुसार प्रत्येक प्रकार की आपदा से संवेदनशील ब्लॉकों का निर्धारण करने हेतु प्रयास किया। तथापि, भूकंपों से ब्लॉकों की संवेदनशीलता निर्धारित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, आपदाओं का एल.0-एल.3 का वर्गीकरण भी नहीं किया गया था। (पैरा सं. 9.1.7.4)
- ज. हमने पाया कि दार्जिलिंग जिलों में, सिंहमारी सिंडिकेट कार्यालय भवन तथा बस अड्डा परिसर को नवम्बर 2011 में संवेदनशील घोषित किया गया था। इसके बावजूद, परिसर का उपयोग किया जा रहा था। (पैरा सं.9.1.7.4)
- झ. रा.आ.प्र.का. ने वीएसएटी आदि के माध्यम से राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों से तथा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों को ब्लॉक

- आपातकालीन परिचालन केन्द्रों से जोड़ते हुए आपदा प्रबंधन हेतु एक महत्वाकांक्षी केन्द्रीय संचार नेटवर्क प्रस्तावित किया। तथापि, इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। (पैरा सं. 6.3.1)
- ज. जि.आ.सं.के. मानसून के दौरान कक्ष संचालनों को नियंत्रित करने में सीमित थे। वर्द्धमान तथा बीरभूम जिलों में आ.सं.के. हेतु कोई श्रमशक्ति प्रदान नहीं की गई थी जबकि दार्जिलिंग में चार आकस्मिकता कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया था।
- ट. हमने "सिविल रक्षा का विकरण" योजना में अनियमितताएं पाई क्योंकि राज्य ने योजना के एक घटक हेतु अपना अंश प्रदान नहीं किया था, निधियों का विपथन तथा उपयोग प्रमाणपत्र का गलत प्रस्तुतीकरण था। (पैरा सं. 7.4.1.1)
- ठ. राज्य ने आपदा प्रबंधन उपकरणों की दक्षता एवं प्रभाविता को मापने तथा सूचना प्रणाली को सुधारने हेतु कोई निर्धारण नहीं किया था।
- ड. राज्य द्वारा आवश्यक निधियों को समय पर जारी करने में विफलता तथा कार्य निष्पादित करने में कार्यकारी अभिकरणों की उदासीनता का परिणाम चार बाढ़ शरणगृहों की गैर-समाप्ति तथा दो बाढ़ शरणगृहों के गैर-सृजन में हुआ। (पैरा सं. 9.3.6.6)
- ढ. चिकित्सा पाठ्यचर्या में आपात दुर्घटना प्रबंधन को शामिल करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आपात दुर्घटना प्रबंधन योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं तथा आपदाओं के दौरान निजी अस्पतालों द्वारा दुर्घटना के उपचार हेतु प्रक्रियाएं निर्धारित नहीं की गई थी।
- ण. बीरभूम जिले में, स्कूली सुरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया गया था जबकि दार्जिलिंग में क्षमता निर्माण हेतु निधियों को उल्लेखित गया था परंतु कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था। हमने यह भी पाया कि किसी भी नमूना जांच किए तीनों जिलों में रोगी, छात्र, मछुआरे तथा किसानों जैसे समाज के संवेदनशील वर्गों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया गया था। (पैरा सं. 8.3.2)

एक सकारात्मक नोट पर:


- राज्य ने दिसम्बर 2007 में पश्चिम बंगाल आपदा प्रबंधन नीति एवं ढाँचा प्रकाशित किया।
- चक्रवात चेतावनी प्रसार सेटों को राज्य की तटीय रेखा सहित संवेदनशील स्थानों पर स्थापित किया गया था।
- बीरभूम तथा वर्द्धमान में, 260 सरकारी अधिकारियों तथा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था जैसा कि लक्षित था।
- दार्जिलिंग में, 230 सिविल रक्षा स्वयंसेवकों के समुदाय प्राची नीतिकरण सेवा (स.प्रा.नी.से.) प्रशिक्षण फरवरी 2011 तथा मार्च 2012 में दो चरणों में आयोजित किए गए थे। वर्द्धमान में, सभी 31 ब्लाकों में मॉकड्रिल/बचाव एवं निष्क्रमण पर प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे।

संघ शासित क्षेत्र: अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

1. पृष्ठभूमि

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (अ.एवं नि. द्वी.) का संघ शासित क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत तथा म्यामांर के बीच के मार्ग के मध्य बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अ.नि.द्वी. भारत के बहु संकट प्रवण क्षेत्रों में से एक है। द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी में हैं जो विश्व के पाँच चक्रवात प्रवण क्षेत्रों में से एक है।

26 दिसम्बर 2004 को, अ.नि.द्वी. के तट भारतीय महासागर भूकंप के अनुगामी 10 मी. (33 फुट) ऊंची सुनामी द्वारा बरबाद हुए थे। 2,000 से अधिक लोगों की मृत्यु सुनिश्चित हुई थी तथा कम से कम 40,000 लोग बेघर हुए थे। निकोबार द्वीपसमूह में सबसे बुरी तरह प्रभावित कटचल तथा इंदिरा केन्द्र थे जो बाद में 4.25 मी. धटा तथा आंशिक रूप से महासागर में जलमग्न हो गया। टेरेसा द्वीपसमूह को दो भागों तथा त्रिनकट द्वीपसमूह को तीन भागों में विभाजित किया जाना बताया गया था। कुछ अनुमानों ने बताया कि द्वीपसमूह भूकंप तथा झुकाव द्वारा लगभग 100 फुट (30 मी.) बढ़े थे।



मानचित्र 10.9: अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

1.1 अ.नि.द्वी. की संवेदनशील परिस्थितियाँ: अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में आपदाओं की मुख्य संवेदनशीलता निम्नानुसार है:

चक्रवात तथा सुनामी: अ.नि.द्वी. सभी तरफ से खुला है तथा बाढ़ों, चक्रवातों, तूफानी लहरों, बादल फटने तथा बवंडरों जैसी जल मौसम संबंधी आपदाओं के प्रभाव में है। अ.नि.द्वी. चक्रउत्पत्ति³ जोन में भी आता है तथा भारत के पूर्वी तट तथा बंगलादेश को प्रभावित करने वाले चक्रवातों की एक सार्थक संख्या प्रत्येक वर्ष अण्डमान सागर से सृजित होती है।

भूकंप: अ.नि.द्वी. विभिन्न भूवैज्ञानिक आपदा जोखिमों के प्रवण भी है। यह विश्व के सबसे अधिक भूकंपी सर्तक भागों में से एक में स्थित है। यह भारतीय महासागर में आस्ट्रेलियन तथा यूरेशियन प्लेटों, जो निरंतर एक दूसरे को धकेलते हैं, को अलग करने वाली सीमा के समकक्ष चलता है। द्वीपसमूह भूकंपनीयता की काफी उच्च तीव्रता के संदेहस्पद हैं। भारतीय भूकंपी जोनिंग मानचित्र के अनुसार इन द्वीपसमूहों को भूकंपी जोन-V में वर्गीकृत किया गया है।

दिसम्बर 2004 के भूकंप तथा सुनामी के पश्चात सं.शा.क्षे. में कोई आपदाएं नहीं आईं।

2. अ.नि.द्वी. में सांस्थानिक प्रबंधन

अ.नि.द्वी. में एक संघ शासित क्षेत्र आपदा प्रबंधन सेल स्थापित किया गया था जिसे जुलाई 2003 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता तथा 12 अन्य सदस्यों को शामिल कर के संघ शासित क्षेत्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में पुनः नामित किया गया था। बाद में, अगस्त 2005 में, उप-राज्यपाल ने द्वीपसमूह स्तरीय, उप-प्रभागीय स्तरीय तथा तहसील स्तरीय आपदा प्रबंधन समितियाँ गठित कीं। आ.प्र. अधिनियम 2005 के अनुसार, जनवरी 2008 में संघ शासित क्षेत्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (सं.शा.क्षे.आ.प्र.प्रा.) तथा संघ शासित क्षेत्र आपदा प्रबंधन कार्यकारी समिति (सं.शा.क्षे.आ.का.स.) स्थापित की गई थी। तीन जिलों अर्थात् दक्षिण अण्डमान, निकोबार तथा उत्तरी एवं मध्य अण्डमान में जनवरी 2008 में जि.आ.प्र.प्रा. भी स्थापित किए गए थे। बाद में, सितम्बर 2008 में, प्रशासन ने निदेशालय आपदा प्रबंधन (नि.आ.प्र.) को अंतः राज्य तथा अंतः जिला संचार संपर्क के साथ-साथ आपदा प्रबंधन योजना (आ.प्र.यो.) के कार्यान्वयन तथा आपदा तैयारी कार्यों हेतु एक नोडल अभिकरण के रूप में स्थापित किया।

दक्षिण अण्डमान, उत्तरी एवं मध्य अण्डमान तथा निकोबार के सभी तीनों जिलों को कार निकोबार तथा नैनकॉरी द्वीपसमूहों पर जिला स्तरीय तैयारियों पर जोर सहित लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था।

3. आपदा तैयारियों पर अभ्युक्तियाँ

क. जनवरी 2008 में स्थापित संघ शासित क्षेत्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने केवल अप्रैल 2012 में एक बार बैठक की। जनवरी 2008 में गठित सं.शा.क्षे. कार्यकारी समिति ने भी केवल दिसम्बर 2009 में एक बार बैठक की थी। सं.शा.क्षे. तथा जिला प्राधिकरण ने आ.प्र. अधिनियम के

³ साइक्लोजेनेसिस, वायुमंडल में चक्रवाती अभिसरण का विकास अथवा सुदृढीकरण है।

- प्रावधानों के अनुसार आपात परिस्थितियों के अंतर्गत प्रापण हेतु संबंधित विभागों अथवा प्राधिकरण को प्राधिकृत नहीं किया था।
- ख. अ.नि.द्वी. हेतु सं.शा.क्षे.आ.प्र.यो. को अंतिम रूप दे दिया गया था तथा केवल अप्रैल 2012 में जाकर ही स्वीकृत किया गया था। तथापि, कोई अलग जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार नहीं की गई थी। उत्तरी एवं मध्य अण्डमान तथा दक्षिण अण्डमान जिलों के लिए संबंधित विभागों के मा.सं.प्र. तैयार नहीं की गई थी।
- ग. अ.नि.द्वी. में कोई सं.शा.क्षे. तथा आपदा प्रतिक्रिया एवं शमन निधि स्थापित नहीं की गई थी। तथापि, हमने पाया कि उत्तरी तथा मध्य अण्डमान जिले में ₹11.86 लाख की राशि का उपयोग शीर्ष “प्राकृतिक दुर्घटना के कारण राहत” के अंतर्गत आपदा प्रबंधन से गैर-संबंधित मदों पर किया गया था।
- घ. भौ.सू.प्र. मानचित्र का उपयोग करके अ.नि.द्वी. के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान आरंभ नहीं की गयी थी। अ.नि.द्वी. के सभी तीनों जिलों में, सबसे साधारण आपदाओं की पहचान तथा मानचित्रण नहीं किया गया था।
- ङ. जि.आ.प्र. में राज्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई थी परंतु कोई नियमित स्टाफ नियुक्त नहीं किया गया था। प्रशासन ने दिसम्बर 2011 अ.नि.द्वी. के प्रत्येक बसे द्वीपसमूह में सुनामी सायरन स्थापित करने का निर्णय लिया था। 146 सुनामी साइरनों की खरीद की जानी थी परंतु इन सायरनों का अभी तक प्रापण नहीं किया गया है। (पैरा सं. 9.3.6.1)
- च. गृ.मं. ने अ.नि.द्वी. के सं.शा.क्षे. प्रशासन को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के रूप में प्रशिक्षित की जाने वाली अपनी बटालियनों तथा कम्पनियों की पहचान तथा चिन्हित करके आपदा की घटना में बचाव तथा प्रतिक्रिया परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को बढ़ाने का निर्देश दिया था (मार्च 2011)। इन कम्पनियों को दो वर्गों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था - प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल कार्मिकों की कम्पनियों को कम्पनी स्तरीय प्रशिक्षण। दिसम्बर 2011 में, सहायक पुलिस अधीक्षक, अ.नि.द्वी. को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के रूप में भारतीय रिजर्व बटालियनों की कम्पनी को प्रशिक्षित करने हेतु प्रस्तावित किया। तदनुसार, अ.नि.द्वी. प्रशासन ने रा.आ.प्र.प्रा. को प्रधान प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के आयोजन हेतु प्रबंध करने का अनुरोध किया। फिर भी, उनको अभी तक कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। इसलिए अपेक्षित प्रशिक्षण के अभाव में अ.नि.द्वी. हेतु अभी भी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को स्थापित किया जाना था। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया (अगस्त 2012) कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल का प्रशिक्षण पुलिस विभाग के साथ चालू था।
- छ. पुलिस, दमकल सेवा, चिकित्सा विभाग तथा अण्डमान लोक निर्माण विभाग को मिलाकर मोबाइल खोज तथा बचाव दलों को अभी भी गठित किया जाना था।

- ज. हमने पाया कि निकोबार जिले के तेरह बसे द्वीपसमूहों में से केवल एक में निष्क्रमण मार्ग⁴ का निर्माण किया गया था। अन्य दो जिलों नामतः दक्षिण अण्डमान तथा उत्तरी एवं मध्य अण्डमान में कोई निष्क्रमण मार्ग तैयार नहीं किया गया था।
- झ. संघ शासित क्षेत्र आपदा प्रबंधन कार्यकारी समिति ने दिसम्बर 2009 में निर्णय लिया कि विभिन्न द्वीपसमूहों में 25 भवनों का किसी संकट स्थिति में उपयोग किए जाने हेतु उनको रेट्रोफीट किया जाएगा। यद्यपि, इस संबंध में अभी तक कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था। (पैरा सं. 9.1.7.1)
- ञ. 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान राहत भण्डारों के निरीक्षण नहीं किए गए थे। इनमें रखी राहत सामग्रियों की स्थिति पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। (पैरा सं. 9.3.6.1)
- ट. 2007-08 से 2011-12 के दौरान बड़ी दुर्घटना के प्रबंधन में केवल तीन डाक्टरों को प्रशिक्षित किया गया था। सं.शा.क्षे. तथा जिला स्तर पर पैरामेडिक्स, क्षमता निर्माण तथा ट्रॉमा हेतु कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए थे। (पैरा सं. 7.5.7.2)
- ठ. गृ.मं. ने मार्च 2006 में रा.च.जो.अ.प. से संबंधित परियोजना तैयारी कार्यों हेतु प्रशासन को ₹5.00 लाख संस्वीकृत किए। अ.नि.द्वी. द्वारा कोई परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
- ड. बाँध विफलता पर आपातकालीन कार्य योजना (आ.का.यो.) तैयार नहीं की गई थी। (पैरा सं. 9.2.5.1)
- ढ. निकोबार जिले में, तीन आ.सं.स. केवल एस.टी.डी. तथा फ़ैक्स सुविधाओं से सज्जित थीं। कार निकोबार में आ.सं.स. क्रियात्मक नहीं थीं। इस आ.सं.स. को विद्युत कनेक्शन अभी तक प्रदान नहीं किया गया था।
- ण. ₹15.80 लाख की लागत वाले 13 उपग्रह फोन हेतु आदेश अक्टूबर 2011 में दिया गया था। यद्यपि, जि.आ.प्र. ने दू.वि. को रॉयल्टी, लाईसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम प्रभार अदा किए थे फिर भी उपग्रह फोनों की अभी भी आपूर्ति की जानी थी। भा.अ.अ.सं. ने 2006 में पोर्ट ब्लेयर में आ.प्र.स. कार्यक्रम के अंतर्गत एक वी-सेट प्रणाली (आ.प्र.स.नोड) संस्थापित की। हमने पाया कि प्रणाली कई वर्षों के लिए क्रियात्मक नहीं थी। (पैरा सं. 6.3.2)
- त. स्कूल सुरक्षा आपदा प्रबंधन योजना को जून 2011 में स्वीकृत किया गया था। रा.आ.प्र.प्रा. से निधियाँ प्रतीक्षित थीं।
- थ. आवश्यक श्रमशक्ति, जो जिलों के लिए 67 निर्धारित की गयी थी, हेतु प्रस्ताव गृ.मं. के पास नवम्बर 2010 से अभी तक लम्बित थे।
- द. निदेशालय द्वारा सं.शा.क्षे., जिला प्रभाग तथा ब्लाक स्तर पर अधिकारियों तथा समाज के वर्गों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक समाविष्ट वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया था।

⁴ समुद्र के किनारे स्थापित तथा प्रदर्शित किये जाने वाले निष्क्रमण मार्ग

जि.आ.प्र. ने जिला प्राधिकारियों से भौतिक तथा वित्तीय निष्पादन पर कोई रिटर्न निर्धारित नहीं की थी। (पैरा सं. 8.3.2)

एक सकारात्मक नोट पर:

- एल0 से एल3 तक आपदा का वर्गीकरण अगस्त 2005 में कर लिया गया था तथा आपदाओं के विभिन्न स्तरों को घोषित करने तथा निपटाने हेतु सक्षम प्राधिकारियों का निर्धारण कर लिया गया था।
- दक्षिण अण्डमान जिले में सुनामी प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण तैयार कर लिया गया था।
- अंतिम मील संयोजकता तथा संचालनों के नियंत्रण हेतु प्रशासन ने पोर्टबल प्लेटफार्म के अंतर्गत प्रत्येक जिले के माध्यम से गावों को समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजनाओं के साथ जोड़ा।
- पुलिस विभाग में आपदा प्रबंधन कक्ष विभिन्न विभागों के अधिकारियों, छात्रों तथा विभिन्न गै.स.सं. को “नष्ट अवसंरचना खोज एवं बचाव” तथा “चिकित्सा प्रथम अनुदाता” पर प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- सं.शा.क्षे. स्तर पर मॉकड्रिल्स की गई थीं तथा निकोबार जिले तथा दक्षिण अण्डमान जिले में भी इसका आयोजन किया गया था।